

मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड

CIN: L34103DL1981PLC011375

पंजी. कार्या.: प्लॉट नं. 1, नेल्सन मंडेला रोड, वसंत कुंज, नई दिल्ली-110070

फोन: +91 (11) 46781000, फैक्स: +91 (11) 46150275

www.marutisuzuki.com, investor@maruti.co.in

विडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित होने वाली 40वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम'), और ई-वोटिंग पर जानकारी की सूचना

1. कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') और उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीयन बाध्यताएं एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के साथ पठित कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ('एमसीए') द्वारा जारी मामलों पर सभी लागू परिपत्रों एवं भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के अनुपालन में एजीएम की सूचना में निर्धारित किये जाने वाले व्यवसाय के निष्पादन के लिए कंपनी के सदस्यों की एजीएम मंगलवार, 24 अगस्त, 2021 को प्रातः 10.00 बजे वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जाएगी। सदस्यगण <https://emeetings.kfintech.com> पर वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होने के लिए सक्षम होंगे।
2. एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट उन सभी सदस्यों को भेज दी गई है जिनके ई-मेल पते कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास पंजीकृत हैं। उपरोक्त कथित दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट www.marutisuzuki.com और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट अर्थात् www.bseindia.com एवं www.nseindia.com पर भी उपलब्ध हैं।
3. कंपनी अपने सदस्यों को एजीएम में पारित किये जाने वाले प्रस्तावित प्रस्तावों पर अपना मतदान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम ('दूरस्थ ई-मतदान') के माध्यम से देने की सुविधा प्रदान कर रही है। कंपनी ने दूरस्थ ई-मतदान सुविधा प्रदान करने के लिए अधिकृत एजेंसी के रूप में केफिन टेक्नोलॉजीज प्रा. लि. (केफिन) की सेवाएं ली हैं। सदस्यों से अनुरोध है कि वे ई-वोटिंग के तरीके और रिमोट ई-वोटिंग (वोट डालने के लिए) के निर्देशों का पालन करें, जिसका विवरण एजीएम की सूचना में दिया गया है।
4. एजीएम में भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोटिंग की लिए सुविधा (इंस्टा पोल) उपलब्ध होगी और केवल वे सदस्य जो एजीएम में उपस्थित हैं और जिन्होंने दूरस्थ ई-मतदान के माध्यम से प्रस्तावों पर अपना मतदान नहीं दिया है और जिन्हें वोट देने से प्रतिबंधित नहीं किया गया है, केवल वे ही अपना एजीएम के दौरान मतदान देने के लिए पात्र होंगे।
5. दूरस्थ ई-मतदान के संबंध में यूजर आईडी एवं पासवर्ड सहित विस्तृत जानकारी एवं निर्देश सदस्यों को ई-मेल के माध्यम से भेज दिये गये हैं। इन लॉगइन विवरणों को वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होने के लिए उपयोग करना होगा।
6. दूरस्थ ई-मतदान के विवरण इस प्रकार हैं:
 - दूरस्थ ई-मतदान आरंभ होने की तिथि एवं समय: 20 अगस्त, 2021 (प्रातः 9.00 बजे)
 - दूरस्थ ई-मतदान समाप्त होने की तिथि एवं समय: 23 अगस्त, 2021 (सायं 5.00 बजे)23 अगस्त, 2021 (सायं 5.00 बजे) के बाद दूरस्थ ई-मतदान की अनुमति नहीं दी जायेगी।
7. जिन सदस्यों का नाम कट ऑफ तिथि अर्थात् 17 अगस्त, 2021 के सदस्यों/लाम भोगी स्वामियों के रजिस्टर में शामिल होंगे, वे केवल दूरस्थ ई-मतदान या एजीएम में भागीदारी और इंस्टा पोल के माध्यम से मतदान करने की सुविधा का लाभ उठाने के लिये अधिकृत होंगे।
8. जो व्यक्ति एजीएम की सूचना के प्रेषण के बाद कंपनी के सदस्य बने हों तथा कट ऑफ तिथि को शेरर धारित करते हों, वे एजीएम की सूचना में उपलब्ध विस्तृत प्रक्रिया जो कंपनी की वेबसाइट तथा केफिन की वेबसाइट पर उपलब्ध है का अनुसरण कर यूजर आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं।
9. जिन सदस्यों ने ई-मतदान द्वारा अपना मतदान किया हो, वे एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं, लेकिन उन्हें फिर से मतदान की अनुमति नहीं दी जायेगी।
10. दूरस्थ ई-मतदान व लाइव वेबकास्ट से संबंधित किसी भी पूछताछ/शिकायतों के लिये सदस्य/लाम भोगी स्वामी निम्न पते पर सम्पर्क करें :

श्री राज कुमार काले, सहायक महाप्रबंधक, केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, टॉवर-बी, प्लॉट 31-32, सेलेनियम बिल्डिंग, फाइनंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, गोचीबावली, हैदराबाद-500032, फोन नं. 040- 67162222 या टोल फ्री नं. 1-800-30-94-001; ई-मेल: evoting@kfintech.com या केफिन की वेबसाइट <https://evoting.kfintech.com/public/Faq.aspx> पर उपलब्ध एफएक्यू सैक्शन को देखें। सदस्यगण ई-मेल: investor@maruti.co.in पर कंपनी सचिव को भी लिख सकते हैं।

मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के लिये